सं. ई-11012(2)/2014-रा.भा.(वि.का.)
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(राजभाषा एकक)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2014

विषय: विधि कार्य विभाग में 'हिंदी दिवस' के अवसर पर दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक 'हिंदी माह' मनाया जाना और विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी विधि सचिव की स्वीकृति से विधि कार्य विभाग में 'हिंदी दिवस' के अवसर पर दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक 'हिंदी माह' मनाया जा रहा है।

2. राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'हिंदी माह' के दौरान विभाग में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये प्रतियोगिताएं निम्न कार्यक्रम के अनुसार कमरा सं. 440, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी:-

क्र.सं.	प्रतियोगिता	आयोजन की तिथि एवं समय
1	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे) **(राजभाषा एकक में)**
2	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)
3	अनुवाद प्रतियोगिता	वीरवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
4	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता [केवल अवर श्रेणी लिपिकों/कोर्ट क्लर्कों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दैनिक वेतन कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए]	वीरवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)
5	हिंदी टिप्पण व प्रारूपण प्रतियोगिता	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
6	हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, **हिंदी में कामकाज प्रतियोगिता** भी होगी, जो प्रतियोगियों द्वारा हिंदी माह अर्थात दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर होगी। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को हिंदी माह के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजना होगा। साथ ही, किए गए कार्य के कम से कम पांच मसौदों/पृष्ठों की फोटोप्रतियां भी नमूने के तौर पर भेजनी होंगी। कुल 100 अंकों की इस प्रतियोगिता में 80 अंक हिंदी में किए गए कार्य की शब्द संख्या के लिए और 20 अंक कार्य की गुणवत्ता के लिए होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जांच कामकाज के विवरण के साथ भेजे गए मसौदों की फोटोप्रतियों से की जाएगी। जिन प्रविष्टियों के

साथ किए गए कार्य के कम से कम पांच पृष्ठों/मसौदों के नमूनों की फोटोप्रतियां नहीं लगी होंगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूनों की ये फोटोप्रतियां भी संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए। प्रविष्टियां संबंधित अनुभाग के माध्यम से दिनांक 8 अक्तूबर, 2014 तक राजभाषा एकक (वि.का.) में पहुंच जानी चाहिए।

4. उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में विधि कार्य विभाग के केवल दिल्ली स्थित कार्यालयों/अनुभागों/एककों के अधिकारी/कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। संविदा पर नियुक्त और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं हैं। प्रतियोगिताओं के नियमों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न **उपाबंध** में दी गई है।

5. विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को गत वर्षों की भांति नियमानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे व प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा इसका उल्लेख उनकी सेवा-पुस्तिकाओं में भी किया जाएगा।

6. विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाएं व विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में अपना योगदान दें।

7. उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी अपने नाम, पदनाम, अनुभाग/कार्यालय, मातृभाषा संबंधी जानकारी 10 सितम्बर, 2014 तक राजभाषा एकक को अवश्य भेज दें।

(विजय सिंह मीणा)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23385383

संलग्न: यथोक्त

सेवा में,

1. विधि कार्य विभाग के दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों/अनुभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी।
2. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण/केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग/मुकदमा (उच्च न्यायालय)/मुकदमा (निम्न न्यायालय) के अधिकारी एवं कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:

1. शाखा सचिवालय, मुम्बई/कोलकाता/बंगलूरू/चेन्नै/भारत का विधि आयोग/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने यहां हिंदी दिवस (दिनांक 14 सितंबर, 2014) के अवसर पर हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह आदि मनाएं और विविध कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा इस विषय में विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजें।

(विजय सिंह मीणा)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23385383